

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. श्रीमती रेखा देवी पति श्री अमृतलाल, जाति- माली, निवासी- वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 249/2020

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही
2. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र कुमार चौधरी, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 25 फरवरी, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा बिना प्रस्ताव पारित किये अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 12003 दिनांक 05.12.2015 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रय चौधरी उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस को तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को बिना



.....पेव दो प

2
के.आर.खौड़
सि.आ. (रा.क.)

प्रस्ताव लिये ही निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 उक्त नियम 157(2) के तहत निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है एवं न ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखती है। अप्रार्थी संख्या-2 का पक्का आवासीय मकान ग्राम वाटेरा में पुरानी आबादी भूमि में बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों या जिनके आवास बाढ़ के कारण बह गये हैं व भविष्य में रहने योग्य नहीं रहे हैं को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 4(1)पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गों को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र हैं। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नहीं हो। अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नहीं, की जांच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त नियम 157(2) के तहत निःशुल्क पट्टा जारी किया है, जो गलत है। अतः प्रस्तुत निगरानी आवेदन को स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम 2 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर वर्ष 2003 से आवासीय कब्जा व मकान बना हुआ है एवं परिवार सहित

...पेज तीन पर

a
अति. नि. नि. क. वि. ट.
सि. नि. (राज.)

उसमें निवासी कर रही है। प्रश्नगत मकान के अलावा अप्रार्थी संख्या-2 के पास और कोई मकान नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम 2 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 अपने पुराने कब्जे शुदा मकान का पट्टा प्राप्त करने की पात्र व्यक्ति है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत, वाटेरा ने बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 अपने परिवार सहित निवास कर रही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम 2 के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट का महिला मुखिया के नाम से निःशुल्क पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या-2 को ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टे का क्षेत्रफल 150 वर्गगज अर्थात् 1350 वर्गफीट से भी कम है। अप्रार्थी संख्या-2 गरीब व्यक्ति है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा आबारी में आवंटित उक्त आवासीय भूखण्डों का कुछ व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिये जाने के संबंध में एक शिकायत हुई, जिसकी जांच अधिकारी द्वारा कुल 24 व्यक्तियों के सामूहिक बयान लिये जाकर पट्टों को गलत जारी होना बताया है। जांच अधिकारी ने सही रूप से जांच किये बिना ही इन पट्टों को गलत जारी होना बताया है। जांच कमेटी ने गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर यह गलत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रदनगत भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्र है। अप्रार्थी संख्या-2 लघु व सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है एवं भूमिहीन व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या-2 के पास स्वयं का कोई मकान नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता या त्रुटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कोई नियंत्रण नहीं था। कानून की स्थिति यह है कि 100 दोषी व्यक्ति छुट जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिये। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारूप में नहीं होकर विभागीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के संबंध में निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने स्वयं का सत्यापन प्रमाण अंकित नहीं किया है तथा न ही निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में जो प्रस्ताव पारित किया है उसको प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नहीं दी है एवं इस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी आवेदन कानून परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2021(1)DNJ(Raj.) Page 186-188 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, भावरी से पंजीयन

.....पेज चार पर



a
अति. नि. जा. कार्यालय
सिरोही (राज.)

भी करवाया है, इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।


(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप-23ख में क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट भूमि का पट्टा बिलेख संख्या 12003 दिनांक 05.12.2015 को जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, वाटेरा ने निगरानी आवेदन में यह अंकित किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने की अप्रार्थी संख्या-2 पात्रता नहीं रखती है एवं ग्राम पंचायत, वाटेरा ने बिना प्रस्ताव लिये ही अप्रार्थी संख्या-2 को पट्टा जारी किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को जिस भूमि में पट्टा जारी किया गया है वह भूमि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, पिण्डवाडा को आवंटित हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते हैं, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, ...पेज पांच पर

सिरोही (राज.)

पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नहीं किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से खमरा संख्या नंबर में कौनसा पट्टा विलेख जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 को भी पालना नहीं की है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता की जांच किये बिना ही पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 12003 दिनांक 05.12.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही